>

Title: Need to do away with the compulsory use of English in Supreme Court, High Courts and Civil Service Examinations.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का आज महान दिन है। पांच सितम्बर शिक्षक दिवस देश के कोने-कोने में मनाया जा रहा है। सुबह भी आसन से निर्देश हुआ और उस पर वार्ताएं हुई। शिक्षक दिवस के साथ-साथ देश में हिन्दी पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 343 और 343 से 351 तक सभी धाराएं भाषा के लिए बनाई हैं। राजभाषा हिन्दी के लिए धारा 343 के अनुकूल कानून की घोषणा की गई, 344 धारा के अधीन समिति भी बनी और तय हुआ कि देश भर की राजभाषा हिन्दी होगी। लेकिन राजभाषा के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। अभी आंदोलन चल रहा है। श्री श्याम रुद्र पाठक, आईआईटी पास किए हुए हैं, वह बराबर धरना दे रहे हैं, जेल में भी गये। यूपीए चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आवास पर भी गए, ऑफिस में, कचहरी में सब जगह दिल्ली में धरने हो रहें हैं कि कोर्ट, कचहरी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी हो, राजभाषा हो और देशी भाषा हो, केवल हिन्दी में नहीं हो, बल्कि देशी भाषा में हो।

अभी जो यूपीएससी की परीक्षा हो रही है, उसमें भी जो प्रतियोगी गिरफ्तार हुए हैं, वहां भी यही सवाल है कि प्रारम्भिक परीक्षा में...

सभापति महोदय : कल भी आपने यह महत्वपूर्ण बात कही थी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह उसी से संबंधित मामला है...(व्यवधान) आज कोर्ट, कचहरी की भाषा का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हर जगह हिन्दी की उपेक्षा हो रही है। जैसे उदाहरणस्वरूप यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा में 80 प्रश्नों में से नौ प्रश्नों के साढ़े बाईस नम्बर अंग्रेजी में अनिवार्य कर दिये और अंग्रेजी में अनिवार्य कर दिया, नया पैटर्न लागू हुआ।

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नया पैटर्न लागू होने से परम्परा और नियम सन् 1979 में भी चेंज हुआ था तो उन्हें तीन अतिरिक्त मौके मिले थे।

सभापति महोदय : आप श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी जोड़ लें, आपकी बात आ गई।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं कंक्लूड करता हूं। इसीलिए उनकी यह मांग है और उन लोगों ने लोकमान्य तिलक थाने में गिरफ्तारी दी है। उनकी मांग यह है कि अतिरिक्त तीन बार परीक्षा देने का मौका मिले और अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो और कोर्ट, कचहरी की भाषा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी और देशी भाषा हो। वे लोग नारा लगा रहे थे - "अंग्रेज यहां से चले गये, अंग्रेजी को छोड़ गये, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, डा. लोहिया की अभिलाषा, चले देश में अपनी भाषा।" इसी बात पर आंदोलन चल रहा है कि देशी भाषा चलाई जाए। दुनिया के सारे मुल्कों ने अपनी-अपनी भाषाओं में तरक्की की है। हिन्दुस्तान में गलतफहमी है कि अंग्रेजी में ज्यादा काबिल होते हैं और अंग्रेजी से ही ज्यादा विकास हो सकता है।

सभापति महोदय : अब आपकी सब बातें आ गई।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह भावना निर्मूल होनी चाहिए, संविधान निर्माताओं के मुताबिक भारत में धारा 343 लागू हुई है, उसके मुताबिक राजभाषा का कानून जन-जन की भाषा, विश्व भाषा, देशी भाषा, हिन्दी भाषा का विकास हो, हमारा देशी भाषा लागू करने का सवाल है और यही लड़ाई है।

सभापति महोदय :

श्री दारा सिंह चौहान,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

श्री शैलेन्द्र कुमार,

श्री पी.एल.पुनिया,

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी,

श्री महेन्द्र सिंह चौहान,

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय और

श्री जे.एम.आरून रशीद अपने आपको डा.रघुवंश प्रसाद सिंह के विषय से सम्बद्ध करते हैं।